



हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू हिंसा और उसके कारण: एक अध्ययन

अजय सिंह, डॉ. सुरेंद्र कुमार²

¹शोधार्थी

²सहायक प्रोफेसर

समाजशास्त्र विभाग, एनआईआईएलएम विश्वविद्यालय, कैथल (हरियाणा)

सार

घरेलू हिंसा एक वैश्विक सामाजिक समस्या बनकर उभरी है जो हर समाज, समुदाय, वर्ग या तबके की महिलाओं को प्रभावित कर रही है। यह अध्ययन हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र जिले की ग्रामीण महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा को प्रभावित करने वाले कारकों के साथ-साथ घरेलू हिंसा की प्रकृति और सीमा को जानने के लिए 200 उत्तरदाताओं का कुल नमूना लेकर आयोजित किया गया था। सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए आवृत्ति, माध्य स्कोर, भारत माध्य स्कोर, रैंक क्रम और ची-स्क्वायर लागू किए गए थे। परिणामों से पता चला कि (33%) उत्तरदाताओं को किसी न किसी रूप में घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ रहा था, यानी शारीरिक, भावनात्मक, आर्थिक या मौखिक। उत्तरदाताओं की आयु, जाति, व्यवसाय और सामाजिक-आर्थिक स्थिति जैसे कारक ग्रामीण समुदायों के खिलाफ घरेलू हिंसा की समस्या के साथ 5% के स्तर पर महत्वपूर्ण रूप से जुड़े हुए पाए गए। यह सुझाव दिया जाता है कि ग्रामीण महिलाओं के उत्थान के लिए, इस कुप्रथा को प्रतिबंधित करने के लिए मीडिया, नेताओं, परिवार और समाज के समुदाय के सदस्यों द्वारा अभियानों के माध्यम से जागरूकता फैलाई जानी चाहिए।



मुख्य संकेतक : ग्रामीण महिलाएं, हरियाणा, घरेलू हिंसा।

परिचय

प्रत्येक समाज में किसी न किसी रूप में हिंसा के साक्ष्य पाए जा सकते हैं (यूनेस्को, 2019; डोंडू और यासेमिन, 2020; टोराज़ी एट अल., 2021)। समाज के हर वर्ग और तबके में हिंसा देखी जा सकती है (निकोलोवा एट अल., 2020)। हिंसा की घटना समाज के सदस्यों के बीच चेतना और धारणा के समान ही महत्वपूर्ण है (येल्ली और ओलुटायो, 2020)। कई बार समाज में महिलाओं के खिलाफ हिंसा को आमतौर पर संस्कृति और धर्म द्वारा कवर किया जाता है (मश्वे, 2020)। घरेलू हिंसा को हिंसा के रूप में देखने की समुदाय की क्षमता पंगु हो जाती है क्योंकि लोग समुदाय की परंपरा, संस्कृति और धर्म के खिलाफ

जाने से डरते हैं (मश्वे, 2020)। हिंसा का अर्थ समाज के लोगों द्वारा अधिक स्वीकार्य और सहनीय होना है यदि इसका औचित्य संस्कृति, धर्म और परंपराओं द्वारा दिया गया हो। संस्कृति हर समाज में बुनियादी है जो किसी व्यक्ति के व्यवहार, दृष्टिकोण या समग्र व्यक्तित्व को आकार देने में मदद करती है। तो एक संस्कृति जो समाज में इस तरह के व्यवहार का समर्थन या समर्थन करती है, वह समाज के सदस्यों द्वारा किए जाने वाले इस तरह के कदाचार को खत्म करने में एक सामाजिक बाधा बन जाती है। यह इतनी गहरी जड़ें जमा चुका है कि यहां तक कि पीड़ित या कमजोर लोग भी सोचते हैं कि दुर्व्यवहार होना सामान्य और अच्छा है। उदाहरण के लिए, अफ्रीका में महिलाओं पर समाज के पुरुष सदस्यों का वर्चस्व है और पुरुषों को सांस्कृतिक मानदंडों और मूल्यों का समर्थन प्राप्त है। और ये पुरुष इन मानदंडों और मूल्यों के तहत छिपकर महिलाओं के खिलाफ इस तरह के कदाचार करते हैं (एसडब्ल्यूएफपी, 2013)।

समाज के पुरुष सदस्य द्वारा महिलाओं को किसी भी वस्तु या चीज से अधिक नहीं देखा जाता है, जो उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए होती है, इस तथ्य की परवाह किए बिना कि महिलाओं की भी एक इंसान के रूप में इच्छाएं या जरूरतें हो सकती हैं। हर समय और हर चीज में, पितृसत्ता ने महिलाओं पर पुरुष प्रभुत्व को प्रोत्साहित किया (मश्वे, 2020)। इस व्यवस्था ने महिलाओं को समाज में इस अनिश्चित स्थिति को स्वीकार करने और हिंसा को सामान्य मानने के लिए मजबूर कर दिया। इसलिए समाज में महिलाओं से अपेक्षा की जाती है कि वे डरपोक, शर्मीली हों और उन्हें हीन महसूस करना चाहिए (रावल और वॉकर, 2019; कंबारामी, 2006; चिरिमुउता, 2006)।

घरेलू हिंसा का प्रयोग अक्सर एक व्यक्ति द्वारा दूसरे पर सत्ता हासिल करने या नियंत्रण में सहायता के लिए किया जाता है। आम तौर पर समाज में महिलाओं को नियंत्रित करने की शक्ति पुरुषों के पास होती है (यूएसए न्याय विभाग, 2019)। घरेलू हिंसा विभिन्न रूपों या पैटर्न में पाई जा सकती है जैसे आर्थिक अभाव, यौन और भावनात्मक वर्चस्व और शारीरिक शोषण। कभी-कभी यह पाया जाता है कि महिलाएं विशेष रूप से ग्रामीण समुदायों में न्याय वितरण तंत्र का हिस्सा नहीं हैं (एम'कॉर्मेक, 2018; मुले, 2018; बेगम और साहा, 2017)। कई शोधकर्ताओं ने अपने अध्ययनों में दिखाया है कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा कैंसर, मलेरिया और सड़क तस्करी दुर्घटनाओं की तुलना में कहीं अधिक खतरनाक है (हेइज़ एट अल., 1994)। घरेलू हिंसा को महिलाओं का मूक हत्यारा माना जाता है क्योंकि महिलाएं अनजाने में अपने खिलाफ दुर्व्यवहार और हिंसा को तबतक सहती रहती हैं जब तक वे बीमार नहीं पड़ जातीं या मर नहीं जातीं। कार्यस्थल और घर दोनों जगह हिंसा एक चिंताजनक आयाम का संकेत दे रही है। घरेलू हिंसा महिलाओं को समाज में उनके बुनियादी मानवाधिकारों से वंचित करती है (डीएफआईडी, 2007)। इसलिए, घरेलू हिंसा समाज में महिलाओं को अमानवीय बनाने और उन्हें सभी प्रकार के शोषण के प्रति संवेदनशील बनाने का कारण बन जाती है। घरेलू हिंसा की शिकार महिलाएं हताशा और लाचारी में रह जाती हैं। 2007 और फाउंडेशन, 2013 की एक रिपोर्ट के अनुसार, बड़ी संख्या में ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने अपने अंतरंग या करीबी सहयोगियों से यौन और शारीरिक हिंसा का अनुभव किया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश महिलाएँ गृहिणी हैं और वे सभी वित्तीय और भौतिक आवश्यकताओं के लिए अपने पतियों पर निर्भर रहती हैं। यहां पुरुष अक्सर महिलाओं की जरूरतों को नज़रअंदाज़ कर देते हैं और अगर वह उनसे ऐसी कोई चीज मांगती है जो उनकी जायज़ जरूरत नहीं है तो उसे सज़ा के तौर पर पीटा जाता है या खाना और पैसा नहीं दिया जाता है। ग्रामीण महिलाओं पर हमेशा परंपरा, संस्कृति और परिवार के कारण दुखों, कुप्रथाओं और दुर्व्यवहार को अपने जीवन का सामान्य हिस्सा मान लिया गया है। और इन अनाचारों और दुर्व्यवहारों का विरोध करने के किसी भी प्रयास को समाज के अन्य तरीकों से

अस्वीकार कर दिया जाता है जो उन्हें ब्लैकमेल कर सकता है या उन्हें समाज में सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा कर सकता है। इस स्थिति का सबसे बुरा पहलू यह है कि अन्य साथी महिलाएँ भी दंड देने तथा अन्य कुप्रथाओं में शामिल हैं। शिक्षा जिसके परिणामस्वरूप महिलाएँ वित्तीय रूप से स्वतंत्र होती हैं और उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता होती है, ग्रामीण क्षेत्रों में इससे इनकार किया जाता है और यह महिलाओं को बहुत अधिकजानने या समाज में पुरुष प्रभुत्व के खिलाफ विरोध करने से रोकता है (अरिसुकु एट अला, 2021)। हरियाणा के ग्रामीण समुदायों में महिलाओं की स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह अध्ययन निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया था: (i) ग्रामीण महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा की प्रकृति और सीमा को जानना (ii) घरेलू को प्रभावित करने वाले सामाजिक आर्थिक कारकों को रेखांकित करना ग्रामीण महिलाओं के खिलाफ हिंसा

क्रियाविधि

यह अध्ययन हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र जिले के ग्रामीण इलाकों में आयोजित किया गया था। इस जिले से, पिहोवा ब्लॉक को यादच्छिक रूप से चुना गया था। इसी ब्लॉक के भेरियां, कमोदा, थाना, बाखली, नीमवाला, पेहोवा, गुलधेरा, मलिकपुर, भट्ट माजरा, जुर्सी कलां, आसमपुर और हरिगढ़ भोरख गांवों की 200 महिला उत्तरदाताओं से डेटा एकत्र किया गया था। जिनमें से 66 ग्रामीण महिलाओं (33%) ने अपने जीवन में घरेलू हिंसा का सामना करने की सूचना दी, इसके अलावा 18,52,38 और 29 ग्रामीण महिलाओं ने क्रमशः शारीरिक, मौखिक, आर्थिक दुर्व्यवहार और भावनात्मक शोषण जैसे विभिन्न रूपों में घरेलू हिंसा का सामना करने की सूचना दी। साक्षात्कार डेटा एकत्र करने के लिए शेड्यूल तैयार किया गया। निष्कर्ष निकालने के लिए डेटा का विश्लेषण और सारणीबद्ध किया गया। सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए आवृत्ति, माध्य स्कोर, भारित माध्य स्कोर, रैंक क्रम और ची-स्क्वायर लागू किया गया था।

परिणाम और चर्चा

विश्लेषण में शारीरिक हिंसा की प्रकृति और सीमा को दर्शाया गया है (तालिका 1) जिसमें पिटाई को प्रथम स्थान मिला, उसके बाद थप्पड़ मारना/धक्का देना/हाथ मरोड़ना (रैंक II) और भूखा रखना (रैंक III)। मौखिक हिंसा के संबंध में, क्रोध को भारित माध्य स्कोर 2.09 के साथ पहला स्थान मिला और उसके बाद चिल्लाने वाला क्रोध (रैंक II)।

रिपोर्ट की गई आर्थिक हिंसा में पति द्वारा उत्तरदाताओं द्वारा अर्जित या मातृपिता/रिश्तेदारों द्वारा उपहार में दिए गए धन को जबरदस्ती छीन लेना (रैंक I) और इसके बाद बिजली, चिकित्सा शुल्क, शिक्षा शुल्क आदि जैसे अन्य बिलों का भुगतान न करना (रैंक II) शामिल है। पति द्वारा नजरअंदाज करना और खारिज करना (रैंक I) और लगातार आलोचना (रैंक II) भावनात्मक हिंसा के तरीके थे, जिसके तहत उन्हें अपने रिश्तेदारों और परिवार के सदस्यों (रैंक III) से मिलने से रोका जाता था।

सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन और उत्तरदाताओं द्वारा सामना की जाने वाली घरेलू हिंसा की समस्या

उत्तरदाताओं की आयु, जाति, व्यवसाय और सामाजिक-आर्थिक स्थिति जैसे कारक घरेलू हिंसा की समस्या के साथ 5% महत्व के स्तर पर महत्वपूर्ण रूप से जुड़े हुए पाए गए (तालिका 2) विश्लेषण से पता चला कि मध्यम आयु वर्ग के

उत्तरदाताओं (48.14%) की एक बड़ी संख्या को अक्सर घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ा, जबकि युवा आयु वर्ग के 48 प्रतिशत उत्तरदाताओं को भी अक्सर घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ा। सामान्य जाति (52.18%), अनुसूचित जाति (46.70%) और पिछड़े वर्ग (46.40%) द्वारा लगातार हिंसा की सूचना दी गई।

डेटा से पता चला कि अधिकांश उत्तरदाता जो गृहिणी और मजदूर थे (क्रमशः 34.85% और 25.76%) ने अक्सर घरेलू हिंसा का सामना किया था। दूसरी ओर, उत्तरदाताओं में से 13.64 और 7.57, जो क्रमशः किसान और छात्र थे, को निम्न स्तर की घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ा।

तालिका 1: उत्तरदाताओं द्वारा रिपोर्ट की गई घरेलू हिंसा की प्रकृति और सीमा

घरेलू हिंसा की प्रकृति			घरेलू का विस्तार	हिंसा		
	बार-बार (3)	कभी-कभी (2)	कभी-कभार (1)	डब्ल्यूएमएस	माध्य स्कोर	पद
शारीरिक हिंसा/दुर्व्यवहार (n=18)						
थप्पड़ मारना/धकेलना/मरोड़ना	5	7	6	35	1.94	II
पिटार्ई	6	8	4	38	2.11	I
भुखमरी	3	6	9	30	1.66	III
मौखिक हिंसा/दुर्व्यवहार (n=52)						
आक्रामक	17	23	12	109	2.09	I
ताना मार	15	20	17	102	1.96	III
अपमान	14	21	15	99	1.90	IV
चिल्लाता हुआ क्रोध	16	21	15	105	2.01	II
आर्थिक हिंसा/दुर्व्यवहार (n=29)						
पति जबरदस्ती पैसे छीन रहा है	7	17	5	60	2.06	I
घर से बाहर निकलने को मजबूर किया जा रहा है	3	19	7	54	1.86	IV
स्त्रीधन या किसी अन्य को बेचना/निपटाना बिना जानकारी के मूल्यवान	6	15	8	56	1.93	III
बिजली जैसे अन्य बिलों का भुगतान न करना, चिकित्सा शुल्क, शिक्षा शुल्क आदि।	8	14	7	59	2.03	II
भावनात्मक हिंसा/दुर्व्यवहार की प्रकृति (n=38)						
नज़रअंदाज़ करना या खारिज करना	12	19	7	81	2.13	I
लगातार आलोचना	9	21	8	77	2.02	II
परिवार से मिलने से रोका जा रहा है सदस्य या रिश्तेदार	7	19	12	71	1.86	III

प्रतिक्रियाएँ एकाधिक थीं

**तालिका 2: सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन और ग्रामीण महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली घरेलू हिंसा के बीच संबंध
(एन=66)**

चर	बार-बार	कभी-कभी	कभी-कभार	कुल
उम्र (साल)				
25 तक की	12(48.0)	9(36.0)	4(16.0)	25(37.88)
25-35	13(48.14)	7(25.93)	7(25.93)	27(40.90)
35 के ऊपर	7(50.0)	4(28.57)	3(21.43)	14(21.22)
कुल	32 (48.48)	20(30.30)	14 4(21.22)	66 (100)
सी ² = 5.99*a				
जाति				
सामान्य	12(52.18)	6(26.08)	5(21.74)	23(34.85)
पिछड़ा वर्ग	13(46.40)	8(28.60)	7(25.00)	28(42.42)
अनुसूचित जाति	7(46.70)	6(40.00)	2(13.30)	15(22.73)
सी ² = 6.99*				
प्रतिवादी का व्यवसाय				
घरवाली	11(47.82)	7(30.44)	5(21.74)	23(34.85)
श्रम	7(41.6)	6(35.8)	4(23.5)	17(25.76)
खेती	4(44.43)	3(33.33)	2(22.24)	9(13.64)
व्यवसाय (लघु/उद्यम)/सेवा	8(66.66)	2(16.67)	2(16.67)	12(18.18)
छात्र	2(40.0)	2(40.0)	1(20.0)	5(7.57)
सी ² = 10.01*				
सामाजिक आर्थिक स्थिति				
कम (12-18)	20(60.60)	5(15.15)	8(24.25)	33(50.0)
मध्यम 19-24)	9(36.0)	12(48.0)	4(16.0)	25(37.9)
उच्च (25-31)	3(37.5)	3(37.5)	2(25.0)	8(12.1)

कोष्ठक में दिए गए आंकड़े प्रतिशत को दर्शाते हैं, * 5 प्रतिशत के स्तर पर महत्वपूर्ण

परिवार का प्रकार, परिवार का आकार, आय, मास मीडिया एक्सपोजर और सामाजिक भागीदारी घरेलू हिंसा से महत्वपूर्ण रूप से जुड़ी नहीं पाई गई।

सुझाव

शिक्षा ही एकमात्र तरीका है जिसके माध्यम से समाज में महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा को प्रतिबंधित किया जा सकता है। ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए अधिक सरकारी निःशुल्क और अनिवार्य शैक्षिक कार्यक्रम होने चाहिए। महिलाओं के लिए जन-मीडिया, परिवार, नेताओं और समुदाय के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम या अभियान तेज किए जाने

चाहिए ताकि वे अपने अधिकारों के प्रति पूरी तरह जागरूक हो सकें। महिलाओं को समाज में उनकी स्थिति के प्रति जागरूक करने की जरूरत है। यह भी सुझाव दिया गया कि घरेलू हिंसा पर लिंग स्मैदीकरण और जागरूकता सृजन कार्यक्रम स्कूल और कॉलेज/विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम का हिस्सा बनना चाहिए।

संदर्भ

1. अरिसुकुवु, ओ.सी., अडेबिसी, टी., और अकिंडेल, एफ. (2021)। कुजे में ग्रामीण महिलाओं के बीच घरेलू हिंसा की धारणा। हेलियॉन, 7(2), 1-8.
2. बेगम, ए. और साहा, एन.के. (2017)। बांग्लादेश में महिलाओं की न्याय तक पहुंच। जर्नल ऑफ़ मलेशियन एंड कम्पैरेटिव लॉ, 44(2. दिसंबर): 45-64।
3. चिरिमुउता, सी. (2006)। लिंग और जिम्बाब्वे शिक्षा नीति: लिंग असंतुलन का सशक्तिकरण या स्थायित्व। शांत पर्वत निबंध [http:// www.org/chirimuuta](http://www.org/chirimuuta).
4. क्लीन फाउंडेशन, (2013)। राष्ट्रीय अपराध पीड़ित सर्वेक्षण।
5. डीएफआईडी, 2007. लैंगिक समानता - विकास के केंद्र में। <http://www.dfid.org>. गोट्सचॉक, एन., 2007। युगांडा: यौन हिंसा के एक रूप के रूप में कम उम्र में विवाह। जबरन प्रवास. रेव. 27:51-53.
6. हेइज़, एल.एल., पिटांगुय, जे. और जर्मेन, ए. (1994)। महिलाओं के खिलाफ हिंसा छिपा हुआ स्वास्थ्य बोझ। विश्व बैंक चर्चा पत्र, 255.
7. कंबारमी, एम.(2006)। स्त्रीत्व, कामुकता और संस्कृति: जिम्बाब्वे में पितृसत्ता और महिला अधीनता। दक्षिण अफ्रीका: एआरएसआरसी.
8. एम'कॉर्मेक, एफ. (2018)। लाइबेरिया की मिश्रित प्रणाली में यौन हिंसा के लिए न्याय तक पहुँचने की संभावनाएँ। स्थिरता: सुरक्षा और विकास के अंतर्राष्ट्रीय जर्नल, 7(1)।
9. मश्वे, एल. (2020)। घरेलू हिंसा को समझना: पुरुषत्व, संस्कृति, परंपराएँ। हेलियॉन, 6(10), ई05334।
10. मुले, जे.एम. (2018)। मबूनी उप-काउंटी, मकुनी काउंटी (डॉक्टरेट शोध प्रबंध, नैरोबी विश्वविद्यालय) में न्याय तक पहुंच में महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियाँ।
11. निकोलोवा, के., पोस्टमस, जे.एल., बटनर, सी., और बॉस्क, ई. (2020)। महिलाओं और बच्चों को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए मिलकर काम करना: संगठनों के बीच सहयोग की इच्छा को प्रभावित करने वाले कारक। बच्चे एवं युवा सेवा समीक्षा, 118:105503।
12. रावल, वी.वी., और वॉकर, बी.एल. (2019)। 'संस्कृति' को खोलना: विविध परिवारों में देखभालकर्ता की भावनाओं और बच्चे की कार्यप्रणाली का समाजीकरण। विकासात्मक समीक्षा, 51: 146-174।
13. यूनेस्को, आई. (2019)। संख्याओं के पीछे स्कूल हिंसा और बदमाशी को समाप्त करना। यूएसए न्याय विभाग, (2019)। यौन उत्पीड़न जागरूकता माह का सम्मान। <https://www.justice.gov/ovw/blog/honoring-sexual-assault-awareness-month>। (6 मई 2019 को एक्सेस किया गया)। <https://www.justice.gov/ovw/blog/honoring-sexual-assault-awareness-month>।

14. डब्ल्यूएचओ, (2007)। महिलाओं के स्वास्थ्य और महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा पर बहुदेशीय अध्ययन। में बाल विवाह महिलाओं के खिलाफ हिंसा का एक रूप क्यों है? (2014)। विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिनेवा। <https://www.girlsnotbrides.org/why-is-child-marriage-a-form-of-violence-against-women-and-girls/>
15. येल्ली, ए.ए., और ओलुटायो, एम.एस. (2020)। लिंग, पुरुषत्व और पुलिस व्यवस्था: दक्षिणी घाना और लागोस, नाइजीरिया में घरेलू हिंसा पर पुलिस की मर्दाना संस्कृति के निहितार्थ का विश्लेषण। सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी ओपन, 2(1), 100077।